JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

हजारीबाग जिले में कृषि विकास हेतु सरकार का पहल

मुकेश कुमार दास
शोधार्थी
स्नातकोत्तर भूगोल विभाग,
राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश

जहाँ एक तरफ भारत विश्व में स्वयं को बेहतर कृषि उत्पादन में साबित किया है, वहीं दूसरी ओर देश में अधिकतर किसान कृषि व्यवसाय को त्यागना चाहते हैं। युवा वर्ग गाँव में कृषि को त्याग कर शहरों में नौकरी करने हेतु पलायन कर रहे हैं। यही स्थिति झारखण्ड के हजारीबाग जिले की भी है। तीव्र गति से बढ़ती आबादी, घटती उपजाऊ कृषि भूमि, कम होते रोजगार आयाम तथा निवेश बाजार के जोखिमों के कारण कृषि क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिए कृषि को लाभकारी बनाने हेतु सरकार इस दिशा में कृत संकल्प है। इसके लिए सरकर समय–समय पर विभिन्न योजनाएँ बना कर क्रियान्वित कर रही है ताकि हजारीबाग के युवाओं किसानों, महिलाओं सहित पूरे राज्य की जनता लाभान्वित हो सके।

मुख्य शब्दः– युवा–वर्ग, पलायन, योजनाएँ

I. परिचय

अध्ययन क्षेत्र हजारीबाग जिले से संबंधित है। हजारीबाग जिला उत्तरी छोटानागपुर पठार का एक हिस्सा है जिसका भौगोलिक विस्तार 23º 15' 18" से 24º 31' 18" उत्तरी अक्षांश तथा 85º 01' 28" से 85º 56' 03" पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य अवस्थित है जिसमें लगभग 3555 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित है। यह समुद्रतल से करीब 2012 फीट (613 मीटर) ऊँचाई पर स्थित है।

हजारीबाग जिला झारखण्ड के उन 24 जिलों में से एक है जिसका मुख्यालय हजारीबाग शहर में स्थित है, जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल का मुख्यालय भी है। जिले में 2 अनुमण्डल, 16 प्रखण्ड, 257 ग्राम पंचायत एवं 1338 गाँव हैं, जिसमें पाँच विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 17,34,005 है। जिले की करीब 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि एवं संबद्ध कार्यों में संलग्न है।

हजरीबाग जिला कृषि कार्यों की दृष्टि से झारखण्ड के प्रमुख जिलों में से एक है। जिले के 37.22% भाष कृषि के लिए प्रयुक्त है। यहाँ रबी और खरीफ फसलें बोई जाती हैं जिनमें मुख्य रूप से चावल, मक्का, गेहूँ और सब्जियों में आलू, टमाटर, धनिया, गोभी आदि शामिल हैं। यह पथरीले एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सिंचाई का समुचित विकास नहीं हो पाया। इसके अलावे यहाँ बढ़ती आबादी, घटती उपजाऊ, कृषि भूमि कम होते रोजगार तथा निवेश बाजार के जोखिमों से इस क्षेत्र की कृषि लाभदायी नहीं रही। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार समय–समय पर योजनाएँ बनाती रही हैं ताकि कृषि का समुचित विकास हो सके।

सरकार द्वारा संचालित कृषि योजनाएँ :

1. **आर्या योजना (ARYA SCHEME)**

ARYA योजना अर्थात् Attracting and Retaining Youth in Agriculture है। इस योजना की शुरूआत वर्ष 2017 में हजारीबाग सहित पूरे झारखण्ड में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य की ओर आकर्षित करना तथा राज्य में हरित क्रांति लाना हैं। इस योजना के तहत् Agriculture Technology Management & Training Agency (ATMA) के माध्यम से हर गाँव के दो युवाओं का चयन करके कृषि के नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षित युवक गाँव के परती भूमि को चिह्नित कर उसे खेती लायक बनाते हैं तथा ग्रामीणों को उस भूमि में दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

2. **विशिष्ट फसल योजना**

झारखण्ड सरकार ने यह योजना यहाँ के जलवायु को ध्यान में रखते हुए संचालित की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाजों, जिसमें प्रमुख रागी, मडुआ, ज्वार और गोंदली के उत्पादन पर जोर देना है। साथ ही, इसके फसल योजना में गन्ना ओर दाल के उत्पादन को भी शामिल किया गया है।

3. **कृषि क्लिनिक योजना**

इस योजना की शुरूआत 2015–16 में झारखण्ड सरकार द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन, क्षमता को बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अन्तर्गत मृदा–स्वास्थ्य, पौधा–संरक्षण, फसल–बीमा, पशु–चारा आदि पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।

4. नीलाम्बर–पीताम्बर जल समृद्धि योजना

इस योजना की शुरूआत 4 मई, 2020 ई0 को झारखण्ड सरकार द्वारा किया गया। कोरोना काल में अधिकाधिक संख्या में प्रवासी मजदूरों का झारखण्ड में आगमन हुआ, इनको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। इस योजना द्वारा राज्य के जल संकट को दूर करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। यह योजना झारखण्ड के सभी पंचायत में चलाई जा रही है।

इस योजना का लक्ष्य

1) राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 करोड़ लीटर की वृद्धि करना।

2) मनरेगा के तहत् 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना।

3) 5 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपयोग लायक बनाना

4) खेत का पानी खेत के पास रोकने का लक्ष्य

5) जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण, जैसे–डोभा, पोखर, हैंड पम्प, कुआँ आदि।

6) प्रवासी मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजागर सृजन करना।

7) जल संकट से जूझ रहे लातेहार, पलामू, गढ़वा आदि जिलों में भूजल का स्तर बढ़ाना।

5. तिलका मांझी ग्रामीण पम्प योजना

झारखण्ड सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत 2 जुलाई, 2016 में पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा से की गई। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सिंचाई पम्पों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत् झारखण्ड के 81 विधान सभा क्षेत्रों में सभी विधान सभा के 50–50 गाँवों का चयन किया गया है और प्रत्येक गाँव से 25–25 कृषकों को निःशुल्क पम्प दिया गया। इस योजना के 40% लाभार्थी SC/ST वर्ग के होते हैं, जो जितना गरीब होगा, योजना के चयन में उसे उतनी अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

6. खुदिया बीयर योजनाः– इस योजना की शुरूआत 18 दिसम्बर, 2016 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि योग्य भूमि में सिंचाई उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत् 27 गाँवों के 24,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चास प्रखण्ड के गबई बराज और धबनाद मे गोविन्दपुर के खुदिया नदी में 272 करोड़ रूपये की लागत से इस योजना की शुरूआत की गई है।

7. मुख्यमंत्री कृषि आर्शीवाद योजना

झारखण्ड सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत 10 अगस्त, 2019 को की गई। इस योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल के उत्पादन के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 5000 रू0 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाती है। (अधिकत्तम 25000 रू0)। यह 5 एकड़ जमीन तक दी जाती है। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उस किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। किसानों के बीच इस योजना को प्रसारित करने के लिए ''जीवन सारथी'' अभियान चलाया जा रहा है।

8. जल क्रांति अभियान

इस अभियान की शुरूआत 2015–16 में केन्द्र सरकार द्वारा की गई। इस अभियान के तहत् झारखण्ड के 48 गाँव को जल–ग्राम के रूप में चयन किया गया है, जो प्रत्येक जिला से 2–2 चयनित किए गए हैं। इस अभियान के तहत् सारे 48 गाँवों को जल के सभी आयामों में आत्मनिर्भर बनाा जाएगा। 2016–17 में इस सभी जल–ग्रामों में CIWSP (Comprehensive Integrated Water Security Plan) योजना लागू किया गया।

9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

इस योजना के तहत् 2016 में हजारीबाग सहित पूरे झारखण्ड में 3.53 लाख हेक्टेयर तक की भूमि का नगण्य शुल्क पर बीमा किया गया है जिससे 8.29 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गिरिडीह देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ तथा गुमला आदि जिलों में 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है।

10. जैविक खेती योजना

हजारीबाग सहिबत पूरे झारखण्ड में इस योजना की शुरूआत 2017 में झारखण्ड सरकार द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देना है।

11. बिरसा हरित ग्राम योजना

कोरोना महामारी संकट के दौरान अनेक प्रवासी मजूदरों का वृहत संख्या में आगमन हुआ। इसके लिए रोजगार उपलब्ध कराना झारखण्ड सरकार के लिए चुनौती बन गई। इन प्रवासी मजूदरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखड सरकार ने 4 मई, 2020 को बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरूआत की।

बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत् हजारीबाग जिला सहित पूरे झारखण्ड प्रदेश में 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाए

जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ परती भूमि को चिन्हित कर उसमें फलदार वृक्षों की मिश्रित बागवानी की जाएगी जिसमें 450 एकड़ जमीन पर अनिवार्यतः फलदार पेड़ लगाए जायेंगे। इस योजना में आम (आम्रपाली और मल्लिका प्रजाति), अमरूद, और नींबू, शरीफा, खैर, कटहल, बैर के पौधे को प्राथमिकता दी गई है, इसके चारों ओर इमारती लकड़ी के पौधे लगाए जायेंगे।

इस योजना को मनरेगा से जोड़ते हुए 5 करोड़ पौधों को देखभाल के लिए स्थानीय महिलाओं के समूह ''बागवानी सखी'' का गठन किया गया है। इससे स्थानीय महिलाओं की स्थिति में सुधार भी होगा।

झारखण्ड सरकार ने यहाँ के किसानों की वार्षिक आमदनी 50,000 रूपया करने का लक्ष्य रखा है। जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो सके।

बिरसा हरित ग्राम योजना के अन्तर्गत 5 लाख परिवारों को 100–100 फलदार पौधों फलदार पौधों का पट्टा दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत कीटपालन और लाह उत्पादन भी शामिल किया गया है।

12. मुफ्त स्मार्ट फोन योजना

हजारीबाग सहित पूरे झारखण्ड में मुफ्ट स्मार्ट फोन योजना की शुरूआत 2018 में की गई थी। e-NAM (National Agriculture Market) में पंजीकृत सभी किसानों के लिए झारखण्ड सरकार ने मुफ्त में स्मार्ट फोन प्रदान करने की व्यवस्था की है। e-NAM 2016 में एकीकृत राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया पोर्टल है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को उचित मूल्य में किसी भी बाजार में बेच सकता है।

13. अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना

हजारीबाग सहित पूरे झारखण्ड में इस योजना की शुरूआत 2021–21 के बजट से की गई। इस योजना के तहत् किसानों को 50,000 रूपया तक का ऋण माफ किया जाएगा। इस योजना के लिए दो हजार करोड़ बजट का प्रावधान किया गया।

II. भावी कार्य

हजारीबाग जिला झारखण्ड के अन्य जिलों के अपेक्षाकृत कृषि कार्य हेतु आदर्श दशाएँ उपलब्ध हैं। इसे और लाभदायक बनाने के लिए सरकार के योजनाओं को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए लोगों को शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। कृषि को उद्योग घोषित किया जाना चाहिए एवं सरकार को कृषि उद्योग के सतत विकास के लिए सूक्ष्म और वृहत् स्तर पर योजना बना कर लोगों के लिए क्रियान्वित करना चाहिए।

III. निष्कर्ष

झारखण्ड सरकार हजारीबाग जिले सहित पूरे राज्य में समय–समय पर विभिन्न कृषि योजनाएँ लाती हैं जिसका मूल उद्देश्य राज्य के किसानों को रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, ग्रामीण किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, जल संरक्षण करना, ग्रामीण युवाओं को शहर की ओर पलायन को रोकना एवं अंततः किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए गाँव, प्रखण्ड, जिला प्रदेश एवं राष्ट्र के विकास मार्ग को प्रशस्त करना।

IV. अभिस्वीकृति

हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) हजारीबाग एवं हजारीबाग जिला समाहरणालय द्वारा दी गई जानकारी एवं चर्चा में मदद के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राय चौधरी, पी0सी0 : बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, हजारीबाग
2. डॉ0 त्यागी, बीपी : कृषि अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास जय प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी, मरेठ पाँचवा संस्करण (1996)
3. अग्रवाल, अरूण : उड़ान झारखण्ड सार संग्रह, उड़ान पब्लिकेशन, दशम् संस्करण (जून, 2023)
5. रंजन, मनीष : झारखण्ड सामान्य ज्ञान प्रभात एग्जाम पब्लिकेशन (2022)
6. चौहान, डी0 एस0 : कृषि भूगोल प्रकाशन, जयपुर, भारत (2010)

****